23/6/25

पश्चात् श्री वकील प्रार्थी अथवा प्रार्थी वकील द्वारा दायर
की गई निष्पादन के लिये स्वीकार करना चुका है अतः प्रार्थना
पत्र 212 का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है प्रार्थना पत्र
212 रद्दी मात्र पर खारिज किया जाता है।

पश्चात् कोर्फल न्यूज दर्ज, नंबर दर्ज करके दाखिल
दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:55:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner